NAP*i*

न्यूट्रीशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एन.ए.पी.आई.) की प्रेस रिलीज

अस्वास्थ्यप्रद पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर 'चेतावनी' अनिवार्य की जाए

जंक फूड के नुकसानों से बचाने के लिए प्रमुख भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता निकायों का एक अटल और स्पष्ट 'दृष्टिकोण'

- **बाईस भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता संगठन एफ.एस.एस.ए.आई. के अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स) पर 'हेल्थ स्टार रेटिंग' का लेबल लगाने की उस योजना का विरोध करने के लिए एकजुट हुए, जिसे उपभोक्ताओं को गुमराह और भ्रमित करने के लिए तैयार किया गया है।**
- **मोटापे और गैर-संचारी रोगों (एन.सी.डी.), जैसे- मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग के बढ़ते संकट को देखते हुए, यह बयान उपभोक्ताओं को इन असुरक्षित खाद्य उत्पादों के बारे में चेतावनी देने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी इंगित करता है।**
- **इस आशय का संयुक्त रूप से समर्थित स्थिति-परक बयान आज जारी किया गया, जिसमें उपभोक्ता को उन अस्वास्थ्यप्रद और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों के बारे में सूचित करने के लिए एक अनिवार्य 'चेतावनी' लेबल की मांग की गई, जिनमें नमक, चीनी या वसा की उच्च मात्रा होती है और ये बच्चों और वयस्कों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।**
- **यह बयान अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि चेतावनी लेबल इन अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी रहे हैं और हेल्थ स्टार रेटिंग ऐसा करने में विफल रही है।**

नई दिल्ली, 4 मई, 2022: न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एन.ए.पी.आई.) ने आज इंडियन वीमेन्स प्रेस कोर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 'अस्वास्थ्यप्रद खाद्य/पेय उत्पादों के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर लेबल लगाने' (फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग, संक्षेप में एफ.ओ.पी.एल.) के बारे में एक स्थिति-परक बयान जारी किया गया।

न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एन.ए.पी.आई.) के संयोजक डॉ. अरुण गुप्ता ने दृष्टिपरक-बयान प्रस्तुत करते हुए कहा- "एन.ए.पी.आई. में हम मानते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) अपने दृष्टिकोण और अस्वास्थ्यप्रद खाद्य एवं पेय उत्पादों पर 'हेल्थ स्टार रेटिंग' को शामिल करने के निर्णय दोनों में गलत दिशा में गया है। हमें यह बताते हुए खुशी है कि देश-भर के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता निकाय इस गैर-जिम्मेदाराना कदम के खिलाफ एकजुट हुए हैं।"

सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले 22 भारतीय संगठनों द्वारा समर्थित, इस बयान में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) की हाल ही में घोषित उन योजनाओं का कड़ा विरोध किया गया, जिसमें नमक, चीनी या वसा की उच्च मात्रा वाले पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर 'चेतावनी लेबल' लगाने के बजाए 'हेल्थ स्टार रेटिंग' (एच.एस.आर.) को लेबल के रूप में अपनाने की बात कही कही गई है।

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पी.एच.एफ.आई.) के अध्यक्ष प्रोफेसर के. श्रीनाथ रेड्डी ने मीडिया को उपरोक्त बयान जारी करते हुए कहा- "पैकेटबंद खाद्य उत्पादों और कई अन्य अति-प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में अस्वास्थ्यप्रद वसा, नमक या चीनी में उच्च मात्रा होती है, जो प्रतिरक्षा क्षमता (इम्युनिटी) को कमज़ोर करने से लेकर हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा और कुछ प्रकार के कैंसर तक के जोखिमों को बढ़ाने से स्वास्थ्य को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं।"

प्रो. रेड्डी ने आगे कहा कि "स्टार रेटिंग भ्रामक हो सकती है, क्योंकि वह उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से यह सूचित नहीं करती है कि रेटिंग विशिष्ट घटकों, स्वाद या शेल्फ लाइफ के लिए है या नहीं। इस प्रकार, किसी भी पैकेटबंद उत्पाद से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को आंकने का उपभोक्ता का अधिकार स्टार रेटिंग द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है।"

एन.ए.पी.आई. ने यह संयुक्त बयान समर्थन करने वाले संगठनों के परामर्श से द्वारा तैयार किया है। यह एफ.एस.एस.ए.आई. की उस 'हेल्थ स्टार रेटिंग' के साथ आगे बढ़ने की घोषणा की बढ़ती आलोचना में इज़ाफा करता है, जो उपभोक्ता को गुमराह कर सकती है।

पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क की सामुदायिक बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. वंदना प्रसाद ने हेल्थ स्टार रेटिंग की भ्रामक प्रकृति के बारे में अपनी बात जोड़ते हुए कहा- "मूल रूप से अस्वास्थ्यप्रद खाद्य उत्पाद में सकारात्मक पोषक तत्वों, जैसे- फाइबर, फल, सब्जी या बादाम के वैयक्तिक घटक आहार के स्वस्थ होने की गलत छवि पेश कर सकते हैं, जिससे ऐसे खाद्य उत्पादों की अधिक खपत हो सकती है।"

जॉर्ज चेरियन बताते हैं- हेल्थ स्टार रेटिंग (एच.एस.आर.) लेबल भारतीय उपभोक्ताओं के लिए समाधान नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा- "हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अनुभवों से सीखना चाहिए और एच.एस.आर. को अपनाने के प्रति सावधान रहना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय नियामक एक आसान और व्याख्यात्मक लेबल चुनें, जो उपभोक्ता को अस्वास्थ्यप्रद उत्पादों को अस्वीकार करने में सहायता करते हैं।"

देश भर के विशेषज्ञ पोषक तत्व-विशिष्ट 'चेतावनी लेबल' के पक्ष में हैं, जो जंक फूड की खपत को कम करने में प्रभावशाली माने जाते हैं।

डॉ. प्रसाद ने नीति-निर्माण प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "चूंकि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि चेतावनी लेबल अधिक स्वस्थ आहार के प्रति उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, इसलिए यह प्रतीत होता है कि खाद्य उद्योग स्टेकहोल्डर्स (हितधारक) के साथ परामर्श के जरिए निर्णय लेने को प्रभावित करने में सक्षम है, जहां वह बहुमत की स्थिति में है।"

इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आई.ए.पी.) के अध्यक्ष डॉ. रमेश कुमार ने कहा- "आई.ए.पी. पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल का समर्थन करता है, न कि हेल्थ स्टार रेटिंग प्रणाली का। खाद्य उद्योग अस्वास्थ्यप्रद खाद्य उत्पादों पर स्टार को पसंद कर सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि चेतावनी लेबल का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि वैज्ञानिक प्रमाण हमें इंगित करते है। एफ.एस.एस.ए.आई. हेल्थ स्टार रेटिंग के बारे में अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है।"

बैंगलोर के इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन (आई.आर.ए.) के अध्यक्ष डॉ. बी.जी. धर्मानंद ने कहा- "मोटापा की रुग्णता और मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण (ड्राइवर) है, जिसको ध्यान में रखते हुए लोगों को उच्च कैलोरी और

हानिकारक घटकों वाले खाद्य पदार्थों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। चेतावनी लेबल हानिकारक खाद्य पदार्थों की पहचान करने का एक विश्वसनीय तरीका है। यह मौजूदा वक्त की मांग है।

एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया (मालवा शाखा) के अध्यक्ष और एक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रोफेसर (डॉ.) वितुल के. गुप्ता ने चेतावनी लेबल लगाने के सुझाव का समर्थन किया और एफ.एस.एस.ए.आई. के विनिमयन संबंधी मसौदे में हेल्थ स्टार रेटिंग शामिल करने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा- "जंक फूड्स, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स, पौष्टिक रूप से अनुपयुक्त खाद्य पदार्थ और कैफीनयुक्त/रंगीन/कार्बोनेटेड खाद्य पदार्थ/पेय या चीनी-मीठे वाले पेय पदार्थ के पैकट के सामने वाले हिस्से पर चेतावनी लेबल लगा कर (एफ.ओ.पी.एल.) एक स्वस्थ खाद्य वातावरण बनाने की आवश्यकता रेखांकित करते हैं।"

मुंबई के किडनी वारियर्स फाउंडेशन की वसुंधरा राघवन ने उपभोक्ताओं को आसान और प्रभावी जानकारी प्रदान करने के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा- "यह अच्छी तरह से जानी-पहचानी बात है कि उपभोक्ताओं के लिए खरीद के स्थानों पर एक संसूचित निर्णय लेने के लिए लेबल व्याख्यात्मक होने चाहिए और उत्पाद की अस्वास्थ्यप्रद प्रकृति के बारे में निर्णण लेने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि एक संसूचित पसंद बनाया जा सके।"

उपरोक्त बयान पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों की ओर इशारा करता है, जो दर्शाता है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड अस्वास्थ्यप्रद खाद्य / पेय उत्पादों की बढ़ती खपत एन.सी.डी. के उच्च जोखिम और सर्व-मृत्यु दर से जुड़ी है। इस बयान में यह दर्शाने के सबूत भी हैं कि अस्वास्थ्यप्रद खाद्य उत्पादों की खपत कम करने के लिए चेतावनी लेबल सबसे प्रभावी होते हैं और हेल्थ स्टार रेटिंग ऐसा करने में नाकाम रहती है।

एन.ए.पी.आई. के सदस्य प्रोफेसर एच.पी.एस. सचदेव ने एक अनिवार्य विनियमन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा- “खाद्य उद्योग की उपभोक्ताओं को इस तरह की जानकारी में दिलचस्पी नहीं है क्योंकि इसका कारोबार लुढ़क सकता है, इसलिए वह हेल्थ स्टार रेटिंग से खुश है, जो भ्रामक होती है और उसमें हेर-फेर किया जा सकता है। अतएव, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि एफ.ओ.पी.एल. अनिवार्य होना चाहिए और इस मुद्दे को स्वैच्छिक रूप से खाद्य उद्योग के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।"

इस बयान में चेतावनी लेबल के लिए समय के अनुकूल कानून बनाने की भी मांग की गई है। इसमें सार्वजिनक स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय करते समय दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए विकसित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के सीमा-आधारित पोषक तत्व प्रोफाइल मॉडल को अपनाने; बच्चों पर लक्षित अस्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों की मार्केटिग तुरंत रोकने; और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लेते समय हितों का टकराव न होने पर जोर दिया गया है। यह बयान इस चिंता को रेखांकित करता है कि भारत में लगभग 60 प्रतिशत वार्षिक मृत्यु गैर-संचारी रोगों (एन.सी.डी.) के कारण होती हैं और 5-19 वर्ष की उम्र के आधे से अधिक भारतीय बच्चों में एन.सी.डी. के बायोमार्कर बढ़ाते हैं।

सेन्टर फोर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण ने कहा- “भारत मोटापे और गैर-संचारी रोगों की महामारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हेल्थ स्टार रेटिंग जंक फूड उद्योग को कानूनी रूप से अपने खराब भोजन को अच्छे भोजन के रूप में बेचने में मदद करेगी। एफ.एस.एस.ए.आई. को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। उसे आगे आना होगा और यह दर्शाना चाहिए कि उसे भारतीय उपभोक्ता के स्वास्थ्य की परवाह है। उसे उद्योग के दबाव का मुकाबला करने और दिए गए अधिदेश (मेन्डेट) को पूरा करने के लिए सख्ती के साथ कार्य करना होगा।"

..... **समाप्त: 4 मई 2022** .....

संपर्क: डॉ अरुण गुप्ता- 9899676306 या सुश्री नूपुर बिड़ला- 9958163610

लिंक्स:

1. स्थिति-परक बयान (अंग्रेज़ी)
2. स्थिति-परक बयान (हिंदी)
3. प्रेस रिलीज (अंग्रेज़ी)
4. प्रेस रिलीज (हिंदी)
5. समर्थक संगठनों की संपर्क-व्यक्ति सूची।

स्थिति-परक बयान में बतलाई गई सिफारिशें:

1. विनियमन संबंधी मसौदे में 'चेतावनी लेबल' या 'उच्च' या 'चिंताजनक अतिरिक्त' पोषक तत्वों के 'चिन्ह' और लेबल दर्शाने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, न कि हेल्थ स्टार रेटिंग को।
2. नमक, चीनी और वसा की सीमा डब्ल्यू.एच.ओ. एस.ई.ए.आर.ओ. (WHO SEARO) के पोषक प्रोफाइल मॉडलिंग पर आधारित होनी चाहिए।
3. फल, सब्जी, मेवा और फाइबर जैसे सकारात्मक पोषक तत्वों की लेबलिंग को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इनका उपयोग मार्केटिंग के उद्देश्य से स्वास्थ्य संबंधी दावों के लिए किया जाता है।
4. बच्चों को लक्षित करने वाले अस्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों / पेय पदार्थों की मार्केटिंग कानून के जरिए तुरंत रोकी जाना चाहिए।
5. यहां तक कि इस प्रकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर निर्णय परामर्श स्तर पर हितों के टकराव के बिना किए जाने चाहिए, खाद्य उद्योग के सुझावों को सुनने के लिए उसके साथ बातचीत एक अलग मंच पर हो सकती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य हित के मद्देनजर निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञों के साथ चर्चा केंद्रीय चरण होनी चाहिए।
6. एफ.ओ.पी.एल. पर अधिसूचना को एक बार अंतिम रूप देने के बाद, खाद्य उद्योग को पालन करने के लिए अधिकतम 12 से 18 महीने का समय दिया जा सकता है।
7. सरकार को स्वास्थ्य प्रणालियों के जरिए इस पर एक व्यापक सार्वजनिक अभियान का अगुवाई करनी चाहिए कि कौन-से खाद्य पदार्थ खाने के लिहाज से सुरक्षित हैं और कौन-से नहीं।

समर्थन करने वाले संगठन:

1. अलायंस फोर सस्टेनेबल एंड हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा)-किसान स्वराज नेटवर्क
2. एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया (मालवा ब्रांच)
3. ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (बी.पी.एन.आई.)
4. सेन्टर फोर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सी.एस.ई.)
5. कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फोर हेल्थ एंड डिसएबिलिटी (सी.ओ.एम.एच.ए.डी.)

6. कन्जूमर वॉइस
7. कट्स इंटरनेशनल
8. एपिडेमियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया (ई.एफ.आई.)
9. इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आई.ए.पी.)
10. इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेन्टिव एंड सोशल मेडिसिन (आई.ए.पी.एस.एम.)
11. इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन (आई.पी.एच.ए.)
12. इंडियन रुमेटोलॉजी एसोसिएशन (आई.आर.ए.)
13. इनिशिएटिव फोर हेल्थ एंड इक्विटी इन सोसायटी (आई.एच.ई.एस.)
14. किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन
15. नॉन-कम्युनिकेबल डिजीजेज प्रिवेन्शन एकेडमी (एन.सी.डी.पी.ए.)
16. ऑबेसिटी सर्जरी सोसायटी ऑफ इंडिया (ओ.एस.एस.आई.)
17. पीडियाट्रिक एंड एडोलसेंट न्यूट्रिशन सोसायटी (पैन) - आई.ए.पी. न्यूट्रिशन चैप्टर
18. पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (पी.वी.सी.एच.आर.)
19. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पी.एच.एफ.आई.)
20. पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसाइटी (पी.एच.आर.एस.)
21. द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बडोदा
22. न्यूट्रीशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (एन.ए.पी.आई.)

.....